रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 272] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 272] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015/SRAVANA 19, 1937

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

सं. 1/14/2015–वि.मा. (एफएसडीएस)(ii)/केविविआ.–केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003(2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले) विनियम, 2014 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभः** (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम **केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन तंत्र और संबद्ध मामले)(दूसरा संशोधन) विनियम, 2015** है।

(ii) ये विनियम 1 नवम्बर, 2015 से प्रवृत होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 2 का संशोधनः**

(**i**)विनियम 2 के खंड 1 के सभी, उपखंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया उपखंड(कक) जोड़ा जाएगाः

"(कक)'आत्यंतिक त्रुटि' से अनुसूचित उत्पादन तथा 'उपलब्ध क्षमता' के संदर्भ में, उन सौर या पवन उत्पादकों, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, के वास्तविक उत्पादन में त्रुटि को आत्यंतिक मूल्य अभिप्रेत है जिसे प्रत्येक 15 समय ब्लाक के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हुए संगणित किया गया होः–

त्रुटि(%) = 100x[वास्तविक उत्पादन–अनुसूचित उत्पादन,]/(एवीसी)

(**ii**) विनियम (2) के खंड (1) के अधीन उपखंड (थ) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उपखंड (द) जोड़ा जाएगा।

(द) उन पवन या सौर उत्पादकों,जो प्रादेशिक इकाइयां हैं,के लिए 'उपलब्ध क्षमता'(एवीसी) ऐसे पवन टर्बाइन या सौर इनवर्टरों की संचयी क्षमता मूल्यांकन है जो दिए गए टाइम ब्लॉक में ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम हैं।

3. **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधनः**मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) में, शब्द"इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर समय ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर तय किए जाएंगे"शब्दों के स्थान पर "पवन एवं ऊर्जा उत्पादकों को छोड़कर विक्रेता द्वारा और अधिक अंतःक्षेपण जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, और इस विनियम के खंड (2) में विनिर्दिष्ट पद्धति के अनुसार नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट दरों पर टाइम ब्लाक की औसत फ्रिक्वेंसी पर निकाला जाएगा" रखा जाएगा।

4 **मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन** : मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) के उपखंड (**IV**) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"अनुसूची के 12% से अधिक टाइम ब्लॉक में या 150 मेगावाट, जो भी कम हो, विक्रेता द्वारा अधिक अंतःक्षेपण विचलन हेतु प्रभार इन्फर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण के सिवाय, शून्य होगा जिसे पवन एवं सौर उत्पादकों को छोड़कर इस विनियम के खंड 5 द्वारा अधिशासित किया जाएगा जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, जिन्हें नीचे दिए गए उपखंड (**v**) से (**vii**) द्वारा अधिशासित किया जाएगाः

5.विनियम 5 के अंतर्गत खंड (1) के अधीननए परंतुक का अंतःस्थापन मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (1) के उपखंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित नए उपखंडों (v),(vi) और (vii) जोड़े जाएंगेः

"(v) उन पवन या सौर उत्पादकों को,जो प्रादेशिक इकाइयां हैं अनुसूची के अनुसार संदत्त किया जाएगा। अनुसूचित उत्पादन से कम हो रहे वास्तविक उत्पादन की दशा में, उत्पादन में कमी के लिए विचलन प्रभार ऐसे सौर या पवन उत्पादकों द्वारा प्रादेशिक डीएसएम पूल में निम्नलिखित सारणी 1 के अनुसार संदेय होंगेः

सारणी –I : अंतः क्षेपण के अधीन मामले में विचलन प्रभार

क्र.स.	15 मिनट टाइम ब्लाक में आत्यंतिक त्रुटि	प्रादेशिक डीएसएम पूल के लिए विचलन प्रभार
1.	<=15%	15 प्रतिशत तक आत्यंतिक त्रुटि के लिए न्यूनता ऊर्जा के लिए नियत दर पर
2.	<=15% लेकिन <=25%	15 प्रतिशत तक आत्यंतिक त्रुटि के लिए न्यूनता ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 110 प्रतिशत
3.	>25% लेकिन <=35%	15 प्रतिशत तक आत्यंतिक त्रुटि के लिए न्यूनता ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 110 प्रतिशत +25 प्रतिशत से आगे और 35 प्रतिशत तक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 120 प्रतिशत
4	>35%	15 प्रतिशत तक आत्यंतिक त्रुटि के लिए न्यूनता ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 110 प्रतिशत +25 प्रतिशत से आगे और 35 प्रतिशत तक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 120 प्रतिशत +35 प्रतिशत से अधिक शेष ऊर्जा के लिए नियत दर का 130 प्रतिशत

जहां नियत दर अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्धारित या अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत आयोग द्वारा स्वीकृत पीपीए दर है। गुणज पीपीए के मामले में, पीपीए दरों का भारित औसत नियत दर के रूप में लिया जाएगा। पवन एवं ऊर्जा उत्पादक संबंधित आरपीसी को विचलन प्रभार लेखा तैयार करने के प्रयोजन के लिए शपथ पत्र पर पीपीए दरें प्रस्तुत करेंगे जिनके साथ पीपीए की प्रति भी होगी।

निर्बाध पहुंच सहभागियों तथा कैप्टिव पवन या सौर संयत्रों के लिए नियत दर राष्ट्रीय स्तर पर औसत ऊर्जा क्रय लागत होगी जिसे पृथक आदेश के माध्यम से समय समय पर आयोग द्वारा अवधारित किया जा सकता है। आदेशों की एक प्रति केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा सभी आरपीसी को भेजी जाएगी।

(vi) उन पवन या सौर उत्पादकों को, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, अनुसूची के अनुसार संदाय किया जाएगा।अनुसूचित उत्पादन से अधिक हो रहे वास्तविक उत्पादन की स्थिति में, अधिक उत्पादन के लिए विचलन प्रभार पवन या सौर उत्पादकों को प्रतिदेय होंगे जो नीचे दी गई सारणी II के अनुसार प्रादेशिक डीएसएम से प्रादेशिक इकाइयां हैंः

सारणी II : अधिक अंतः क्षेपण की दशा में विचलन प्रभार

क्र.स.	15 समय मिनट ब्लाक में आत्यंतिक त्रुटि	संदेयविचलन प्रभार
1.	<=15%	15 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर पर
2.	<=15% किन्तु <=25%	15 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 90 प्रतिशत

3.	>25% किन्तु <=35%	15 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 90 प्रतिशत +25 प्रतिशत से आगे और 35 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 80 प्रतिशत
4	>35%	15 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर पर +15 प्रतिशत से अधिक और 25 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 90 प्रतिशत +25 प्रतिशत से आगे और 35 प्रतिशत तक अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 80 प्रतिशत +35 प्रतिशत से आगे अधिक ऊर्जा के लिए नियत दर का 70 प्रतिशत

जहां नियत दर अधिनियम की धारा 62 के अधीन आयोग द्वारा यथा अवधारित या अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा स्वीकृत पीपीए दर है। विभिन्न पीपीए की दशा में, पीपीए दरों को भारित औसत नियत दर के रूप में लिया जाएगा। पवन तथा ऊर्जा उत्पादक संबंधित आरपीसी को विचलन प्रभार लेखा तैयार करने के प्रयोजन के लिए शपथ पत्र पर पीपीए दरें प्रस्तुत करेंगे जिनके साथ पीपीए की प्रति भी होगी।
निर्बाध पहुंच सहभागियों की क्रय शक्ति जो क्रेता के आरपीओ अनुपालन के लिए परिगणित नहीं की गई है तथा कैप्टिव पवन या सौर संयत्रों के लिए नियत दर, राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी औसत ऊर्जा क्रय लागत होगी जो आयोग द्वारा समय समय पर,पृथक आदेश द्वारा अवधारित की जाए।आदेश की एक प्रतिसभी आरपीसी को भेजी जाएगी।
(**vii**)इस विनियम के खंड (**v**) और (**vi**) के संदर्भ में, अनुसूची के संबंध में क्रेताओं के डीम्ड नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ) उत्पादकों द्वारा अनुपालन के संतुलन के लिए,उन सभी पवन एवं ऊर्जा,जो प्रादेशिक इकाइयां हैं,विचलनों को मासिक आधार पर संपूर्ण पूल के लिए पहले नेटआफ किया जाएगा और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में किसी शेष कमी को पूल लेखा से निधियों का प्रयोग करते हुए एनएलडीसी द्वारा यथास्थिति,समतुल्य सौर एवं गैर सौर नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्रों (आरईसी), जैसा भी मामला हो, के क्रय के माध्यम से संतुलित किया जाना चाहिए। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के सकारात्मक संतुलन के लिए, समतुल्य काल्पनिक आरईसी को डीएसएम पूल में जमा किया जाएगा और भविष्य में समझौते के लिए अग्रनीत किया जाएगा।"

6. मूल विनियम के विनियम 5 का संशोधन :मूल विनियम के विनियम 5 के खंड (2) में "विचलन के लिए प्रभार का अवधारण निम्नलिखित पद्धति के अनुसार किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर,"पवन और ऊर्जा उत्पादकों को छोड़कर,जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, विचलन के लिए प्रभार को निम्नलिखित पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाएगा"शब्द रखे जाएंगेः

7.मूल विनियम के विनियम 7 के खंड (1) में एक नए परंतुक का अंतःस्थापन :मूल विनियम के विनियम 7 के खंड 1 के विद्यमान परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित एक नया परंतुक जोड़ा जाएगाः

"परंतु यह कि विनियम 7 के अधीन यथाअनुबद्ध विचलन मात्रा संबंधी सीमाएं तथा इन सीमाओं का उन्नयन(जिसमें विचलन के लिए अतिरिक्त प्रभार भी हैं) उन पवन तथा सौर उत्पादकों, जो प्रादेशिक इकाइयां हैं, को लागू नहीं होगी।"

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./50/2015/159]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III ,खंड 4,, क्रम संख्या 06 को तारीख 7.1.2014 को प्रकाशित किए गए थे, जिसका शुद्धिपत्र भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III ,खंड 4, क्रम संख्या 52 में दिनांक 17.2.2014 को प्रकाशित किया गया तथा मूल विनियम का प्रथम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III ,खंड 4, तारीख 18.12. 2014 को प्रकाशित किया गया था।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2015

No. 1/14/2015-Reg. Aff. (FSDS) (ii)CERC.— In exercise of the powers conferred under Section 178 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 (hereinafter referred to as the "Principal Regulations") namely: —

1. **Short title and commencement - (1)** These regulations shall be called the **Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) (Second Amendment) Regulations, 2015**,

(2) These regulations shall come into force with effect from 1st November, 2015.

2. **Amendment of Regulation 2 of Principal Regulations:**

(i) After sub-clause (a) under clause (1) of Regulation 2, new sub-clause (aa) shall be added as under:-

" (aa) 'Absolute Error' shall mean the absolute value of the error in the actual generation of wind or solar generators which are regional entities with reference to the scheduled generation and the 'Available Capacity' (AvC), as calculated using the following formula for each 15 minute time block:

Error (%) = 100 X [Actual Generation– Scheduled Generation] / (AvC)

(ii) After sub-clause (q) under clause (1) of Regulation 2, new sub-clause (r) shall be added as under:-

(r)'Available Capacity (AvC)' for wind or solar generators which are regional entitiesis the cumulative capacity rating of the wind turbines or solar inverters that are capable of generating power in a given time-block.

3. **Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations:** In clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations, the words "and over-injection by the seller and shall be worked out on the average frequency of a time-block at the rates specified in the table below as per the methodology specified in clause (2) of this regulation" shall be substituted by the words "and over-injection by the seller, except for wind and solar generators which are regional entities, and shall be worked out on the average frequency of a time-block at the rates specified in the table below as per the methodology specified in clause (2) of this regulation".

4. **Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations:**Sub-clause (iv) to clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations, shall be substituted as under:-

"the charges for the Deviation for the over-injection by the seller in a time block in excess of 12% of the schedule or 150 MW, whichever is less,shall be zero, except in case of injection of infirm power, which shall be governed by the clause (5) of this Regulation,and except for wind and solar generators which are regional entities, which shall be governed by sub-clauses (v) to (vii) below:

5. **Insertion of new proviso under clause (1) under Regulation 5:** After sub-clause (iv) to clause (1) of Regulation 5 of the Principal Regulations, new sub-clauses (v), (vi) and (vii) shall be added as under:-

"(v) The wind or solar generators which are regional entities shall be paid as per schedule. In the event of actual generation being less than the scheduled generation, the deviation charges for shortfall in generation shall be payable by such wind or solar generator to the Regional DSM Pool as given in Table – 1 below:

Table – I: Deviation Charges in case of under injection

Sr. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable to Regional DSM Pool
1	< = 15%	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15%
2	>15% but <= 25%	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15% + 110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25%
3	>25% but <=35%	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15% + 110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25% + 120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35%
4	> 35%	At the Fixed Rate for the shortfall energy for absolute error upto 15% + 110% of the Fixed Rate for balance energy beyond 15% and upto 25% + 120% of the Fixed Rate for balance energy beyond 25% and upto 35% + 130% of the Fixed Rate for balance energy beyond 35%

Where the Fixed Rate is the PPA rate as determined by the Commission under section 62 of the Act or adopted by the Commission under section 63 of the Act.In case of multiple PPAs, the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The wind and solar generators shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of Deviation charge account preparation to respective RPC supported by copy of the PPA.

Fixed Rate for Open Access participants selling power which is not accounted for RPO compliance of the buyer, andthe captive wind or solar plants shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level,as may be determined by the Commission from time to time through a separate order. A copy of the order shall be endorsed to all RPCs.

(vi) The wind or solar generators which are regional entities shall be paid as per schedule.In the event of the actual generation being more than the scheduled generation, the Deviation Charges for excess generation shall be payable to the wind or solar generators which are regional entities from the Regional DSM Pool as given in Table – II below:

Table – II: Deviation Charges in case of over injection

Sr. No.	Absolute Error in the 15-minute time block	Deviation Charges payable
1	< = 15%	At the Fixed Rate for excess energy upto 15%
2	>15% but <= 25%	At the Fixed Rate for excess energy upto 15% + 90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25%
3	>25% but <=35%	At the Fixed Rate for excess energy upto 15% + 90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25% + 80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35%
4	> 35%	At the Fixed Rate for excess energy upto 15% + 90% of the Fixed Rate for excess energy beyond 15% and upto 25% + 80% of the Fixed Rate for excess energy beyond 25% and upto 35% + 70% of the Fixed Rate for excess energy beyond 35%

Where the Fixed Rate is the PPA rate as determined by the Commission under section 62 of the Act or adopted by the Commission under section 63 of the Act.In case of multiple PPAs, the weighted average of the PPA rates shall be taken as the Fixed Rate. The wind and solar generators shall furnish the PPA rates on affidavit for the purpose of Deviation charge account preparation to respective RPC supported by copy of the PPA.

Fixed Rate for Open access participants selling power which is not accounted for RPO compliance of the buyer, and the captive wind or solar plants shall be the Average Power Purchase Cost (APPC) rate at the National level, as may be determined by the Commission from time to time througha separate order.A copy of the ordershall be endorsed to all RPCs.

(vii) In reference to clauses (v) and (vi) of this Regulation, for balancing of deemed renewable purchase obligation (RPO) compliance of buyers with respect to schedule, deviations by all wind and solar generators which are regional entities shall first be netted off for the entire pool on a monthly basis and any remaining shortfall in renewable energy generation must be balanced through purchase of equivalent solar and non-solar Renewable Energy Certificates (RECs), as the case may be, by NLDC by utilising funds from the Pool Account.For positive balance of renewable energy generation, equivalent notional RECs shall be credited to the DSM Pool and carried forward for settlement in future."

6. **Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations:** In clause (2) of Regulation 5 of the Principal Regulations, the words "The Charge for Deviation shall be determined in accordance with the following methodology" shall be substituted by the words "The Charge for Deviation, except for wind and solar generators which are regional entities, shall be determined in accordance with the following methodology".

7. **Insertion of a new proviso to clause (1) under Regulation 7:** After the existing proviso to clause (1) of Regulation 7 of the Principal Regulations, a new proviso shall be added as under:-

"Provided that the limits on deviation volume and consequences for crossing these limits (including the additional charges for deviation) as stipulated under Regulation 7 shall not apply to wind and solar generators which are regional entities".

SHUBHA SARMA, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./50/2015/159]

Note:— The Principal Regulations were published on 7.1.2014 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, Serial No. 06, corrigendum thereof was published (on 17.2.2014) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 at Serial No.52 and the first amendment to the Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section 4 on 18th December, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.